अंक 33 । संख्या 9 । सितम्बर 2026

सर्वे भवन्तु सुखिनः

मानव अधिकार

न्यूज़लेटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मासिक प्रकाशन

क्षमता निर्माण

ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप

शोध अध्ययन

पंजाब में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा: संभावनाएँ और चुनौतियाँ

लेख

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार: कानूनी ढाँचा, पहल और चुनौतियाँ

मानव अधिकार
न्यूज़लेटर

अंक 33 । संख्या 9 । सितम्बर 2026

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

अध्यक्ष
न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन

सदस्य
न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि
श्रीमती विजया भारती सयानी
श्री प्रियंक कानूनगो

महासचिव
श्री पीयूष गोयल

संपादक
जैमिनि कुमार श्रीवास्तव
उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार), एनएचआरसी

यह सामग्री आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है। गैर-सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के मानव अधिकार न्यूज़लेटर में प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुन: प्रकाशित कर सकते हैं।

"एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि तथा महासचिव श्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप का उद्घाटन करते हुए।"

"एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव श्री पीयूष गोयल तथा वरिष्ठ अधिकारी आयोग की हिंदी पत्रिका सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के साथ।"

विषय-वस्तु

मासिक विवरण

01 महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कलम से

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

02 ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप

लेख

04 बाधाओं से परे: दिव्यांगजनों के अधिकारों को आगे बढ़ाना

महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप

07 स्वतः संज्ञान
10 राहत के लिए सिफारिशें
10 पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान
11 केस स्टडी
12 मौके पर पूछताछ

क्षेत्रीय दौरे

13 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य द्वारा किए गए दौरे
15 विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटरों द्वारा किए गए दौरे

शोध अध्ययन

16 पंजाब में दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा: संभावनाएँ और चुनौतियाँ

जागरूकता पहल

17 सहयोगात्मक क्षमता निर्माण कार्यक्रम
19 ज्ञानार्जन दौरे

20 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

21 राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

23 संक्षेप में समाचार

25 आगामी कार्यक्रम

25 अगस्त 2026 में प्राप्त शिकायतें

www.nhrc.nic.in
@India_NHRC
@NationalHumanRightsCommission

RNI No. 61957/95

मासिक विवरण

महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कलम से

अगस्त 2026 के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों और पहलों का आयोजन किया। अपने हस्तक्षेपों, कार्यक्रमों, शोध तथा ज्ञान-साझाकरण संबंधी पहलों के माध्यम से आयोग ने गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय तक पहुँच को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया तथा उन विषयों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया, जिन पर संस्थागत और सार्वजनिक स्तर पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

दिव्यांगजनों के अधिकारों को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत, इस अंक में आयोग की महिला एवं दिव्यांगता संबंधी विशेष मॉनिटर डॉ. पूर्वा मित्तल का एक लेख शामिल किया गया है, जिसमें उनके अधिकारों से संबंधित प्रमुख चिंताओं को रेखांकित किया गया है। इसमें 'पंजाब में दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा: संभावनाएँ और चुनौतियाँ' विषय पर किए गए शोध अध्ययन की रिपोर्ट भी शामिल है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा को आगे बढ़ाने के अवसरों और चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है।

शिकायतों का समयबद्ध परीक्षण, उचित हस्तक्षेप, जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा पीड़ितों और उनके परिवारों को राहत प्रदान करना, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे मामलों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर उचित सुधारात्मक उपायों की सिफारिश के माध्यम से आयोग का उद्देश्य न केवल व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन का समाधान करना है, बल्कि उनकी पुनरावृत्ति को रोकने और मानव अधिकार संरक्षण को सुदृढ़ करने में भी योगदान देना है। अगस्त 2026 के दौरान आयोग ने 4,023 नई शिकायतें दर्ज कीं, जिनमें 15 स्वप्रेरणा से संज्ञान के मामले शामिल हैं। आयोग ने 4,246 मामलों का निस्तारण किया, जिनमें पूर्व में दर्ज कुछ मामले भी शामिल थे, तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन से प्रभावित पीड़ितों को 17 मामलों में 146 लाख रुपये की मौद्रिक राहत की सिफारिश की।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्यों, विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटरों द्वारा किए गए क्षेत्रीय दौरे तथा प्रभावित व्यक्तियों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ उनकी बातचीत, विभिन्न चिंताओं को समझने और आवश्यक सुधारात्मक सिफारिशें करने में आयोग को सहायता प्रदान करती है। आगामी माह गांधीनगर में आयोजित किए जाने वाले आयोग के खुले अधिवेशन एवं कैंप सिटिंग से शिकायतकर्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ सीधे संवाद करने तथा जमीनी स्तर पर मानव अधिकारों से संबंधित चिंताओं की समीक्षा करने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस प्रकार की पहल मानव अधिकार संरक्षण तंत्र को लोगों के और करीब लाती है, संवाद को सुगम बनाती है, सुधारात्मक कार्रवाई को प्रोत्साहित करती है तथा आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन का आकलन करने में सहायता करती है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के इंटर्नशिप कार्यक्रम, सहयोगात्मक क्षमता निर्माण पहल और ज्ञानार्जन दौरे मानव अधिकारों की व्यापक समझ विकसित करने तथा युवा पेशेवरों, विद्यार्थियों और अन्य हितधारकों को इन विषयों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अंक की प्रमुख रिपोर्ट में आयोग द्वारा अगस्त माह में आयोजित ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार की अन्य पहलों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट भी इस अंक में शामिल की गई है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अलावा, राज्य मानव अधिकार आयोग और अन्य संस्थाएँ भी देश में मानव अधिकार संरक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुछ राज्य मानव अधिकार आयोगों की महत्वपूर्ण गतिविधियों को भी इस न्यूज़लेटर के अंक में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मानना है कि इन संस्थाओं के बीच समन्वय तथा अच्छी कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान, पूरे देश में मानव अधिकारों से संबंधित चिंताओं के प्रति अधिक सुसंगत और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में योगदान दे सकता है।

मानव अधिकारों का संरक्षण एक सतत दायित्व है, जिसके लिए सतर्कता, जवाबदेही और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं, ताकि जिन लोगों को राहत की आवश्यकता है, उन तक प्रभावी उपचार पहुँच सके। इस कार्य की प्रभावशीलता अंततः इस बात से परिलक्षित होती है कि प्रत्येक व्यक्ति किस हद तक गरिमा, समानता और वास्तविक सुरक्षा की भावना के साथ जीवन जीने में सक्षम है। हमें आशा है कि न्यूज़लेटर का यह अंक अगस्त 2026 के दौरान आयोग की गतिविधियों और पहलों का रोचक एवं समग्र विवरण प्रस्तुत करेगा तथा पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी साबित होगा।

पीयूष गोयल
महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

युवाओं में मानव अधिकारों की संस्कृति का विकास जागरूकता, अनुभव और सहभागिता से शुरू होता है। इसी दृष्टिकोण के साथ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम को विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने तथा उनके व्यक्तिगत, शैक्षणिक और व्यावसायिक जीवन में मानव अधिकारों को समझने और बढ़ावा देने की क्षमता विकसित करने के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित किया है। अपने ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम के माध्यम से आयोग युवा शिक्षार्थियों को मानव अधिकारों के सिद्धांतों, कानूनों, संस्थाओं और संरक्षण तंत्र की गहन समझ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है तथा शैक्षणिक ज्ञान को मानव अधिकारों के संरक्षण की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ता है।

ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप

3 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन ने दो सप्ताह की अवधि वाले ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि, महासचिव श्री पीयूष गोयल, संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार एवं श्रीमती साईडिंगपुई छकछुआक, निदेशक श्रीमती सातोविशा समाजदार, उप सचिव श्रीमती विनीता ओट्टापुरक्कल कल्लड़ा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमियों से संबंधित 2,036 आवेदकों में से 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया।

प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने इंटर्नशिप कार्यक्रम को युवाओं को मानव अधिकारों के महत्व के प्रति जोड़ने और संवेदनशील बनाने का एक प्रभावी माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि देश के युवा इस दृष्टि से सौभाग्यशाली हैं कि वे विश्व के विभिन्न हिस्सों में हो रहे संघर्षों से दूर रहकर जीवन जी रहे हैं। उन्हें भोजन, शिक्षा और आश्रय जैसे बुनियादी मानव अधिकारों तक पहुँच प्राप्त है, जबकि दुनिया के कई हिस्सों में लोग सशस्त्र संघर्षों और विस्थापन का सामना कर रहे हैं।

इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 98 देश किसी न किसी रूप में बाहरी संघर्षों का सामना कर रहे हैं, जबकि 12.2 करोड़ से अधिक लोग जबरन विस्थापित हुए हैं। वैश्विक आर्थिक क्षति लगभग 20 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई है, जो पूरी दुनिया में उत्पन्न गंभीर मानवीय स्थिति को रेखांकित करती है।

अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य साथी मनुष्यों के प्रति सहानुभूति और करुणा की भावना को विकसित करना

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि, महासचिव श्री पीयूष गोयल तथा वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप का उद्घाटन करते हुए।

है। उन्होंने कहा कि यदि यह कार्यक्रम प्रतिभागियों में इन मूल्यों को एक प्रतिशत भी सुदृढ़ कर सके, तो इसे सफल माना जाएगा। उन्होंने प्रशिक्षुओं से इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने तथा आयोग के ब्रांड एंबेसडर के रूप में विकसित होने का आह्वान किया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि ने कहा कि इंटर्नशिप कार्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया गया है कि प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों के व्याख्यानों के माध्यम से मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहित किया कि वे कार्यक्रम के माध्यम से अर्जित ज्ञान का उपयोग अपने हित के साथ-साथ समाज के हित में भी करें।

इससे पहले, महासचिव श्री पीयूष गोयल ने कहा कि ऑनलाइन प्रारूप ने भौगोलिक और आर्थिक बाधाओं को दूर करके इंटर्नशिप कार्यक्रम को अधिक समावेशी और सुलभ बनाया है, जिससे देशभर के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित वक्ताओं के साथ प्रशिक्षुओं की बातचीत से उन्हें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिदेश और कार्यप्रणाली की गहरी समझ प्राप्त करने में सहायता मिलती है तथा उन्हें अपने शैक्षणिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में न्याय, समानता और मानव गरिमा के मूल्यों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है।

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप के समापन सत्र को संबोधित करते हुए।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर प्रशिक्षुओं को बधाई दी। उन्होंने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के अभिन्न अंग के रूप में 'सेवा' के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेवा केवल दान या परोपकार का कार्य नहीं है, बल्कि व्यापक जनकल्याण के लिए समर्पित रहने की प्रतिबद्धता है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से आग्रह किया कि वे याद रखें कि मानव अधिकार अंततः लोगों से जुड़े हैं और प्रत्येक फाइल तथा मानव अधिकार उल्लंघन की प्रत्येक घटना के पीछे एक मानवीय कहानी होती है, जिसे सुना और समझा जाना आवश्यक है।

प्रशिक्षुओं से जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान करते हुए उन्होंने उन्हें अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग, अपने पेशे की परवाह किए बिना, समाज के व्यापक हित में करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक मूल्यों—न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता—को बनाए रखना प्रत्येक पीढ़ी की जिम्मेदारी है। भगवद्गीता, स्वामी विवेकानंद और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रशिक्षुओं से अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को शिक्षित करने और उनके लिए अवसर सृजित करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, जहाँ विकास का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि और बेहतर बुनियादी ढाँचा नहीं, बल्कि मानव गरिमा, न्याय, समानता और समावेशन का संरक्षण भी होना चाहिए।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संयुक्त सचिव श्रीमती साईडिंगपुई छकछुआक ने इंटर्नशिप कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रतिष्ठित विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, कोर ग्रुप के सदस्यों और नागरिक

समाज संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करने का अवसर मिला। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस कार्यक्रम से प्रशिक्षुओं की मानव अधिकारों के संबंध में समझ और अधिक समृद्ध हुई होगी। उन्होंने पुस्तक समीक्षा, समूह शोध परियोजना प्रस्तुति और वक्तृत्व (डिक्लेमेशन) सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं की भी घोषणा की।

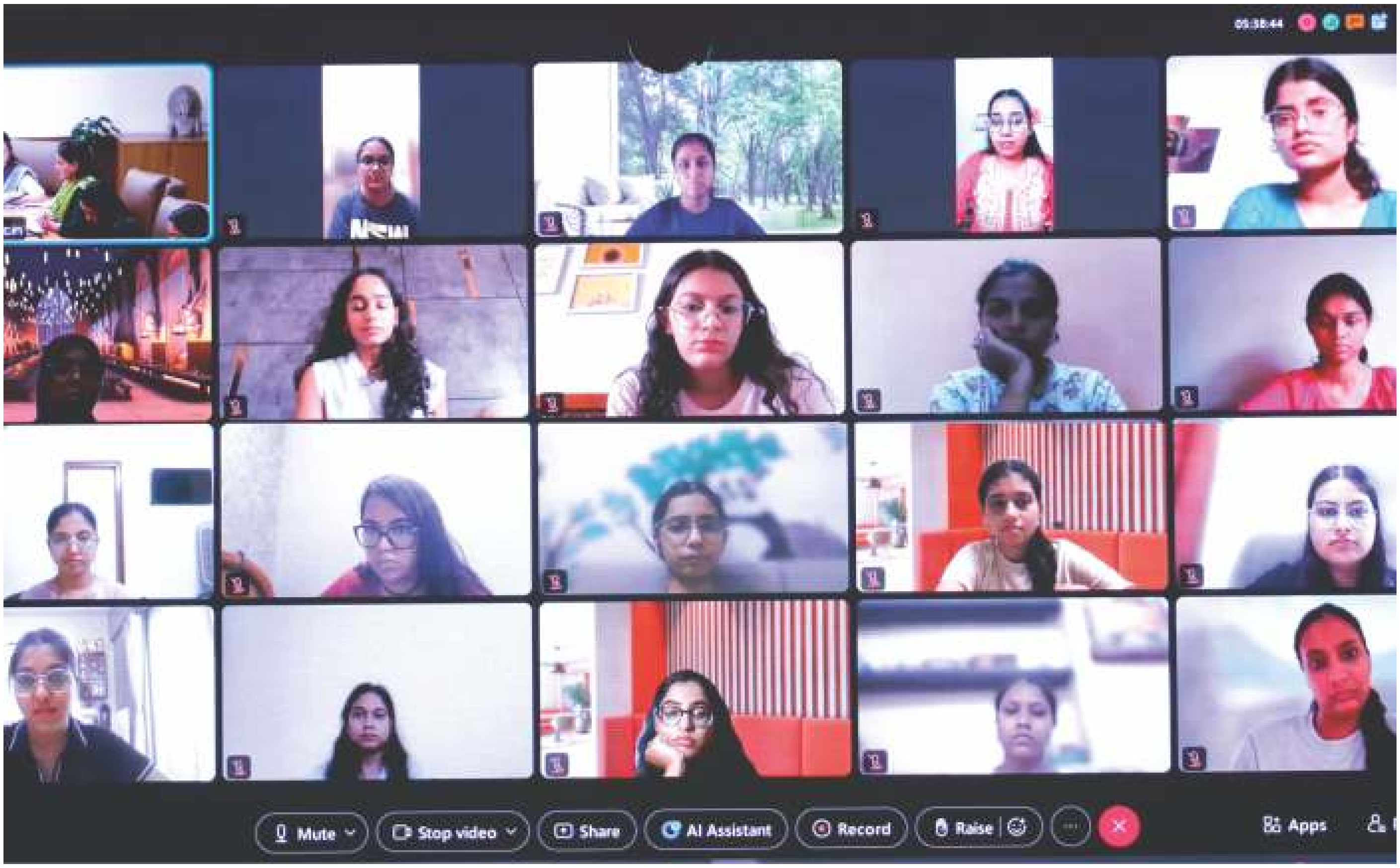

▶ "ऑनलाइन प्रशिक्षुओं का एक समूह।"

लेख

बाधाओं से परे: दिव्यांगजनों के अधिकारों को आगे बढ़ाना

डॉ. पूर्वा मित्तल

विशेष मॉनिटर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

1993 में दक्षिण अफ्रीका के दिव्यांगता अधिकार कार्यकर्ताओं ने पूर्वी यूरोप के एक सहकर्मी से लिए गए एक वाक्यांश को दोहराना शुरू किया: "हमारे बारे में कुछ भी, हमारे बिना नहीं।" बाद में इस वाक्यांश को संयुक्त राष्ट्र के दिव्यांगजनों के अधिकारों पर कन्वेंशन में अभिव्यक्ति मिली, जिसमें दिव्यांगजनों को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनकी "पूर्ण और प्रभावी भागीदारी" का आह्वान किया गया है। तीन दशक बीत जाने के बाद भी यह वाक्यांश उस कमी की ओर संकेत करता है, जो किसी दिव्यांग व्यक्ति के बारे में लिए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक में दिखाई देती है—उसे दिव्यांगता का कितना प्रतिशत निर्धारित किया जाता है और यह आकलन कितने समय तक वैध रहता है।

कागजी प्रक्रिया में जो कभी नहीं पूछा जाता

मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी स्थितियाँ आवश्यक नहीं कि जन्म से ही किसी व्यक्ति में मौजूद हों। ये तब भी विकसित हो सकती हैं, जब कोई व्यक्ति अपने करियर, वैवाहिक जीवन या माता-पिता बनने के जीवन-चरण में काफी आगे बढ़ चुका हो। जो व्यक्ति पहले स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा था, नौकरी कर रहा था, परिवार का पालन-पोषण कर रहा था और बिना सहायता के दैनिक जीवन जी रहा था, उसकी शक्ति और क्षमताएँ अचानक धीरे-धीरे कम होने लग सकती हैं। एएलएस के कुछ मामलों में यह बीमारी व्यक्ति के व्यक्तित्व, सोचने की क्षमता और संवाद करने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है।

यहीं पर व्यवस्था व्यक्ति के अनुभव के एक महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज करती हुई प्रतीत होती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति या विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र प्रक्रिया में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि जब किसी व्यक्ति को बताया जाए कि उसकी स्थिति केवल और बिगड़ने वाली है, तब उसकी किसी परामर्शदाता के साथ बातचीत कराई जाए। कागजी प्रक्रिया यह पूछती है कि शरीर का कितना प्रतिशत प्रभावित है; लेकिन यह नहीं पूछती कि उस क्षति का उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो उसके साथ जीवन जी रहा है।

क्रमिक प्रगति

कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अनेक दिव्यांगताओं में रोग या स्थिति की क्रमिक प्रगति एक महत्वपूर्ण पहलू है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा धीरे-धीरे दृष्टि के क्षेत्र को सीमित करता है और अंततः अंधत्व का कारण बन सकता है; ग्लूकोमा धीरे-धीरे ऑप्टिक नर्व को क्षतिग्रस्त करता है। अशर सिंड्रोम के कारण समय के साथ सुनने और देखने की क्षमता दोनों में गिरावट आ सकती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग, एसएमए और एएलएस कुछ लोगों में दशकों के दौरान, जबकि अन्य लोगों में कुछ ही महीनों में, उनकी गतिशीलता को क्रमशः प्रभावित कर सकते हैं। एएसएस जैसी स्थितियों में यह क्षति गतिशीलता से आगे बढ़कर बोलने और संवाद करने की क्षमता तक पहुँच सकती है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के जीवनकाल में एक ही बीमारी दिव्यांगता कानून के अंतर्गत आने वाले कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है।

हालाँकि, कानून हमेशा इस क्रमिक प्रगति के अनुरूप नहीं चलता। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में धारा 2 के खंड (zc) के अंतर्गत "निर्दिष्ट दिव्यांगता" में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को चलन-संबंधी दिव्यांगता और मल्टीपल स्क्लेरोसिस को दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है, लेकिन SMA, ALS या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी स्थितियों का विशेष रूप से नामोल्लेख नहीं किया गया है। इनमें से बाद वाली स्थितियाँ अनुसूची में चलन या दृष्टि संबंधी अक्षमता की व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत आ सकती हैं। परिणामस्वरूप, व्यवस्था प्रभावी रूप से दिव्यांगता को तब मान्यता दे सकती है, जब व्यक्ति बीमारी के कारण पहले ही अपनी बहुत-सी क्षमताएँ खो चुका हो।

एक स्थिर संख्या की कीमत: बदलती स्थिति

किसी क्रमिक रूप से बढ़ने वाली बीमारी के साथ जुड़ा एक स्थायी प्रमाणपत्र व्यक्ति के रोजगार, शैक्षणिक अवसरों और ऐसे उपचार तक पहुँच को प्रभावित कर सकता है, जो बीमारी की प्रगति को धीमा करने में सहायक हो। 35 प्रतिशत दिव्यांगता, जो "बेंचमार्क दिव्यांगता" के लिए निर्धारित 40 प्रतिशत की सीमा से थोड़ी कम है, पर किसी व्यक्ति को यह अनुभव हो सकता है कि विशिष्ट लाभों के लिए निर्धारित सीमा को ही दिव्यांगता की वास्तविक परिभाषा मान लिया गया है।

इसके प्रभाव दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुँचते हैं—शिक्षा, जहाँ विद्यालय बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था करने से इन्कार कर सकता है; रोजगार, जहाँ युक्तियुक्त समायोजन एक अधिकार एवं दायित्व के बजाय उपकार जैसा माना जाने लगता है; स्वास्थ्य सेवा, जहाँ प्रमाणपत्र में दर्ज प्रतिशत वास्तविक आवश्यकता से कम हो जाता है; और विश्वसनीयता, जहाँ "अस्थायी" स्थिति को किसी तरह कम वास्तविक समझा जाता है।

राज्य ने क्या वादा किया है

भारत में दिव्यांगता संबंधी विधिक एवं नीतिगत ढाँचे का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ने दिव्यांगताओं की सात श्रेणियों को बढ़ाकर 21 कर दिया है। वहीं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2021 में शुरू की गई दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत नामित उत्कृष्टता केंद्रों में उपचार के लिए प्रति रोगी 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इन केंद्रों में दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए धनराशि भी आवंटित की गई है। 1 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव द्वारा दिए गए लिखित उत्तर के अनुसार, वर्ष 2024-25 में यह राशि 82.87 करोड़ रुपये थी। 27 मार्च 2026 को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव द्वारा दिए गए लिखित उत्तर के अनुसार, उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या भी 8 से बढ़कर 15 हो गई है।

भारत ने 2007 में दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि भी की थी। यह कन्वेंशन दिव्यांगता को केवल कल्याण के विषय के रूप में नहीं, बल्कि समानता और अधिकारों के विषय के रूप में देखता है। यूएनसीआरपीडी (UNCRPD) का अनुच्छेद 25 बिना भेदभाव के स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का प्रावधान करता है; अनुच्छेद 26 निरंतर हैबिलिटेशन और पुनर्वास की व्यवस्था की अपेक्षा करता है; अनुच्छेद 28 दिव्यांगता से संबंधित आवश्यकताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करता है; और अनुच्छेद 19 स्वतंत्र रूप से जीवन जीने तथा समुदाय में शामिल होने के अधिकार को मान्यता देता है। जब किसी व्यक्ति की क्षमताओं में क्रमिक रूप से बदलाव आता है, तो इन प्रतिबद्धताओं को वास्तविक रूप देना और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

जब अधिकार सभी तक नहीं पहुँचते

लेकिन व्यवहार में इन अधिकारों और लाभों तक पहुँच किसकी है? इसका सबसे अधिक बोझ पहले से वंचित लोगों पर पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत के दिव्यांगजनों में 69 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। दुर्लभ न्यूरोमस्कुलर स्थितियों के निदान के लिए आवश्यक विशेषज्ञ और तृतीयक चिकित्सा केंद्र अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होते।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एनएसएस 76वें दौर (जुलाई-दिसंबर 2018), एनएसएस रिपोर्ट संख्या 583, दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण" के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगता की व्यापकता 2.3 प्रतिशत थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 2 प्रतिशत थी। सर्वेक्षण में पुरुषों में दिव्यांगता की व्यापकता 2.4 प्रतिशत और महिलाओं में 1.9 प्रतिशत दर्ज की गई। हालांकि, दिव्यांग महिलाओं में केवल 24.1 प्रतिशत के पास दिव्यांगता प्रमाणपत्र था, जबकि पुरुषों में यह अनुपात 32.4

प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों में अकेले रहने वाली महिलाओं का अनुपात 5 प्रतिशत था, जबकि पुरुषों में यह 2 प्रतिशत था—अर्थात महिलाओं का अनुपात दोगुने से भी अधिक था।

इस प्रकार, दिव्यांगता केवल आय को ही सीमित नहीं कर सकती; यह व्यक्ति की उपलब्ध अधिकारों और लाभों तक पहुँचने तथा उनका लाभ उठाने की क्षमता को भी सीमित कर सकती है। इसका प्रभाव परिवारों तक भी पहुँचता है। गंभीर या क्रमिक रूप से बढ़ने वाली दिव्यांगता वाले अनेक व्यक्तियों के पीछे परिवार का कोई सदस्य—अधिकतर महिला—देखभाल प्रदान करता है और वित्तीय तथा भावनात्मक बोझ का बड़ा हिस्सा वहन करता है। सामाजिक सुरक्षा की एक सार्थक व्यवस्था को दिव्यांग व्यक्ति के साथ-साथ उसकी देखभाल करने वाले लोगों की आवश्यकताओं को भी पहचानना और उनका समर्थन करना चाहिए।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने पहले ही क्या कहा है

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने इनमें से कई चिंताओं को पहले ही रेखांकित किया है। 17 फरवरी 2025 को आयोजित अपने कोर ग्रुप की बैठक में आयोग ने उल्लेख किया कि भारत में 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र स्थायी प्रमाणपत्र के रूप में जारी किए जाते हैं, जबकि शेष प्रमाणपत्र सामान्यतः उन स्थितियों से संबंधित होते हैं, जिनके और बिगड़ने की संभावना होती है। आयोग ने 40 प्रतिशत की बेंचमार्क सीमा की समीक्षा तथा "देखभाल करने वालों के बोझ को कम करने" के लिए अधिक सहायता का आह्वान किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि "दिव्यांगता अधिकारों के प्रति मानव अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाने में दुनिया को तीस वर्ष लग गए।"

समस्या को स्वीकार करना और व्यवस्था में बदलाव करना एक ही बात नहीं है। जनवरी 2026 में हुई एक अन्य बैठक में आयोग ने कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाणपत्रों के सामूहिक पुनर्मूल्यांकन के प्रति सावधान किया। जब यह शिकायतें सामने आईं कि श्रवण एवं वाक् दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को जीवन बीमा से पूरी तरह वंचित किया जा रहा है, तब आयोग ने यह मामला भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के समक्ष भी उठाया। संदेश स्पष्ट है: मानव अधिकार आधारित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करे कि रोजगार, बीमा, स्वास्थ्य सेवा और दैनिक जीवन को नियंत्रित करने वाली व्यवस्थाएँ दिव्यांगता को एक और बाधा में परिवर्तित न कर दें।

नीति, केवल इच्छाओं की सूची नहीं

इनमें से किसी भी बदलाव के लिए नए कानून की आवश्यकता नहीं है; आवश्यक तंत्र पहले से मौजूद हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की अनुसूची में अधिसूचना के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है, जैसा कि मई 2026 में एसिड अटैक से होने वाली विकृति को शामिल किए जाने के समय किया गया। इसी माध्यम से एसएमए (SMA) और अशर सिंड्रोम को भी शामिल किया जा सकता है तथा रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के कारण अंधत्व होने से पहले ही उसके लिए प्रमाणन की व्यवस्था की जा सकती है।

2024 के नियम पहले से ही स्थायी और अस्थायी प्रमाणपत्रों को मान्यता देते हैं। एक तीसरी श्रेणी "क्रमिक रूप से बढ़ने वाली दिव्यांगता" निर्धारित समीक्षा चक्र के साथ बनाई जा सकती है, जिससे पुनर्मूल्यांकन का अर्थ पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करना न हो।

अधिनियम "दिव्यांगता" और "बेंचमार्क दिव्यांगता" के बीच भी अंतर करता है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा अस्थायी प्रमाणपत्रों के संबंध में जारी स्पष्टीकरण के समान एक स्पष्टीकरण यह सुनिश्चित कर सकता है कि 40 प्रतिशत की सीमा केवल आरक्षण के लिए लागू हो। एक दशक पुराने 75,000 रुपये/1,25,000 रुपये की कर कटौती को वास्तविक खर्चों से जोड़ा जा सकता है और इसे नई कर व्यवस्था के अंतर्गत बहाल किया जा सकता है, जबकि 300 रुपये प्रतिमाह की पेंशन को राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा स्तर से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

2025 के वस्तु एवं सेवा कर सुधार के अंतर्गत सहायक उपकरणों पर कर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया। इसी दृष्टिकोण का विस्तार अनुकूलित वाहनों तक किया जाना चाहिए, जिन पर अभी भी 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर लागू है। सुगम्यता केवल सार्वजनिक परिवहन तक सीमित नहीं होनी चाहिए। राजीव रतूड़ी मामले में अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अनिवार्य सुगम्यता मानक स्थापित करने का निर्देश दिया था। ये मानक निजी संचालकों पर भी लागू होने चाहिए, ताकि सुगम्यता केवल सार्वजनिक सेवाओं तक सीमित न रहे।

अंततः, IRDAI को NHRC की 2026 की सूचना को किसी एक शिकायत की प्रतिक्रिया के बजाय एक स्थायी नियम का रूप लेना चाहिए। दुर्लभ रोगों के लिए स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रयासों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, जबकि अनिवार्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय का उपयोग सहायक प्रौद्योगिकी और देखभाल करने वालों के समर्थन के लिए किया जा सकता है।

निष्कर्ष

प्रभु कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में, मार्च 2026 में दिए गए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिव्यांगता का प्रतिशत "किसी उम्मीदवार की क्षमता का निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता।" इस सिद्धांत को दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने, बीमा दावों के आकलन और चिकित्सा बोर्डों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए।

आवश्यक अनेक बदलावों के लिए नए कानून की जरूरत नहीं है। इसके लिए अधिक स्पष्ट अधिसूचनाओं, बेहतर कार्यान्वयन और सबसे बढ़कर ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है, जो यह स्वीकार करे कि क्रमिक रूप से बढ़ने वाली दिव्यांगता को केवल संख्याओं के माध्यम से नहीं समझा जा सकता।

इन स्थितियों के साथ जीवन जीने वाले लोगों की उन निर्णयों में आवाज होनी चाहिए, जो उनके अधिकारों, अवसरों और भविष्य को प्रभावित करते हैं। "हमारे बारे में कुछ भी, हमारे बिना नहीं" इस वर्ष तैंतीस वर्ष पूरे कर रहा है, लेकिन इसका संदेश अभी भी अधूरा है: कोई व्यवस्था दिव्यांगजनों की वास्तविक सेवा तब तक नहीं कर सकती, जब तक वह उनकी बात सुने बिना उनके भविष्य का निर्णय करती रहे।

स्वतः संज्ञान

मीडिया रिपोर्टें लंबे समय से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के लिए कथित मानव अधिकार उल्लंघनों की घटनाओं की पहचान करने में सूचना के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करती रही हैं। वर्षों से आयोग ने ऐसे अनेक मामलों में स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया है और पीड़ितों को समय पर राहत एवं सहायता प्रदान की है। अगस्त 2026 में आयोग ने मीडिया में रिपोर्ट किए गए 15 मामलों में स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। इनमें से कुछ मामलों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

शारीरिक दंड

(केस संख्या 1628/12/44/2026)

1 अगस्त 2026 को मीडिया में खबर प्रकाशित हुई कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के उकावल गाँव स्थित एक शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 28 जुलाई 2026 को कक्षा 4 के एक विद्यार्थी के साथ एक शिक्षक ने मारपीट की और जातिसूचक अपशब्दों का प्रयोग किया। बताया गया कि शिक्षक इस बात से नाराज था कि दलित समुदाय से संबंधित बालक अपनी बोतल से पानी पी रहा था। आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और शिवपुरी के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में पीड़ित को दिए जाने वाले वैधानिक राहत की स्थिति भी शामिल किए जाने की अपेक्षा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बालक ने घटना के बारे में अपने माता-पिता को बताया, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया।

दूषित पानी के कारण क्षेत्र में बच्चों में पीलिया फैलना

(केस संख्या 1117/7/1/2026)

3 अगस्त 2026 को मीडिया में खबर प्रकाशित हुई कि हरियाणा के अंबाला जिले के शाहजादपुर में दूषित पेयजल के सेवन से हुए पीलिया के कारण एक 12 वर्षीय बालिका की मृत्यु हो गई। क्षेत्र में कई अन्य बच्चों में भी पीलिया का निदान किया गया है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में सार्वजनिक नल के माध्यम से आपूर्ति किया जा रहा पेयजल दूषित है। आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में उपचार करा रहे पीड़ित बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति तथा समस्या के समाधान के लिए प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों को शामिल किए जाने की अपेक्षा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बालिका का प्रारंभ में स्थानीय अस्पताल में पीलिया का उपचार किया गया। स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने पर उसे चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान रेफर किया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

स्कूल पहुँचने के लिए बेतवा नदी पार करने हेतु चेक डैम के खंभों पर छलांग लगाकर जान जोखिम में डालते विद्यार्थी

(केस संख्या 1642/12/49/2026)

4 अगस्त 2026 को मीडिया में खबर प्रकाशित हुई कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ककरौआ गाँव के विद्यार्थी स्कूल पहुँचने के लिए बेतवा नदी को पार करने हेतु चेक डैम के खंभों पर छलांग लगाकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बताया गया कि वे इस खतरनाक रास्ते का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इससे सड़क मार्ग से 13 किलोमीटर की दूरी घटकर केवल 1.5 किलोमीटर रह जाती है। रिपोर्ट के अनुसार, गाँव के नौ विद्यार्थी प्रतिदिन इसी प्रकार नदी पार करते हैं, जिनमें पाँच छात्राएँ शामिल हैं। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को राज्य द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने की गारंटी देता है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 भी 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे की शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने अविनाश मेहरोत्रा बनाम भारत संघ (2009) मामले में यह माना है कि शिक्षा के अधिकार में अनिवार्य रूप से सुरक्षित विद्यालय तथा सुरक्षित आधारभूत संरचना का अधिकार भी शामिल है।

अतः आयोग ने माना है कि बच्चों के स्कूल पहुँचने के लिए सुरक्षित परिवहन या आवागमन के साधन का अभाव, गरिमा के साथ शिक्षा के उनके मौलिक अधिकार को नकारने के समान है। इस संबंध में आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, खुले चेक डैम के खंभों के बीच बने चौड़े अंतराल को जोखिमपूर्ण ढंग से पार करते बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ग्रामीणों ने कथित तौर पर बताया कि खेतों में काम करने के कारण वे अपने बच्चों को दूर स्थित विद्यालय तक छोड़ने में असमर्थ हैं। उनके सामने या तो बच्चों को स्कूल भेजना बंद करने या इसी जोखिमपूर्ण तरीके से उन्हें भेजते रहने का विकल्प है।

रिपोर्ट के अनुसार, एक छात्रा चेक डैम के खंभों को पार न कर पाने के कारण स्कूल नहीं जा सकी और अपनी अंतिम परीक्षा में असफल हो गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर जिला अधिकारी को इस समस्या से अवगत कराया है। हालांकि, नदी पार करने के लिए सुरक्षित मार्ग के निर्माण की कोई समय-सीमा निर्धारित किए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

सर्पदंश से मृत्यु

(केस संख्या 1388/13/11/2026)

11 अगस्त 2026 को मीडिया में खबर प्रकाशित हुई कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के एक आश्रम विद्यालय के छात्रावास में अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित छह छात्राओं को साँप ने काट लिया। बताया गया कि छात्रावास के कमरे में खाटों की कमी के कारण वे फर्श पर सो रही थीं। सर्पदंश से तीन छात्राओं की मृत्यु हो गई, जबकि शेष तीन का अस्पताल में उपचार चल रहा था। आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में घायल छात्राओं की स्वास्थ्य स्थिति शामिल किए जाने की अपेक्षा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, छात्रावास के एक कमरे में 79 छात्राएँ रहती हैं। पिछले 25 वर्षों से संचालित इस छात्रावास में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। जिले में प्रत्येक वर्ष सर्पदंश के बड़ी संख्या में मामले सामने आते हैं।

सीवर की सफाई के दौरान मृत्यु

(केस संख्या 1177/7/3/2026)

11 अगस्त 2026 को मीडिया में खबर प्रकाशित हुई कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सेक्टर-25 स्थित एक कारखाने में मैनहोल की सफाई करते समय जहरीली गैसों के संपर्क में आने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दूसरा घायल हो गया। बताया गया कि श्रमिक बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मैनहोल में उतरे थे। आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में जाँच की स्थिति, घायल व्यक्ति के स्वास्थ्य तथा उसे और मृतक के निकटतम परिजनों को प्रदान किए गए मुआवजे, यदि कोई हो, की स्थिति शामिल किए जाने की अपेक्षा है। बताया गया कि कारखाना मालिक ने श्रमिकों को मैनहोल साफ करने के लिए बुलाया था।

सीआरपीएफ(CRPF) कर्मियों द्वारा आत्महत्या

(केस संख्या 890/90/0/2026-PF)

11 अगस्त 2026 को मीडिया में खबर प्रकाशित हुई कि जनवरी से 22 मई 2026 के बीच पाँच महीने से भी कम अवधि में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 19 कर्मियों की आत्महत्या से मृत्यु हुई। रिपोर्ट किए गए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में बल के 59 कर्मियों की आत्महत्या से मृत्यु हुई। बताया गया कि पिछले पाँच वर्षों में दर्ज यह आत्महत्याओं की सबसे अधिक संख्या थी। आयोग ने गृह मंत्रालय के गृह सचिव और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में कुल 281 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों ने आत्महत्या की, जिनमें लगभग 216 ड्यूटी पर थे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में वर्ष 2021 में 57, वर्ष 2022 में 43, वर्ष 2023 में 57, वर्ष 2024 में 46 और वर्ष 2025 में 59 आत्महत्याएँ दर्ज की गईं।

शारीरिक हमला

(केस संख्या 2381/30/7/2026)

14 अगस्त 2026 को मीडिया में खबर प्रकाशित हुई कि दिल्ली के मुनिरका क्षेत्र में मणिपुर के दो व्यक्तियों के साथ दो लोगों ने मारपीट की। बताया गया कि पीड़ितों में से एक को सिर में गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। आयोग ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में जाँच की स्थिति और घायल व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति शामिल किए जाने की अपेक्षा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक मामूली विवाद के कारण पीड़ितों पर हमला किया गया।

मिलावटी शराब के सेवन के बाद मृत्यु

(केस संख्या 727/6/6/2026)

19 और 21 अगस्त 2026 को मीडिया में खबर प्रकाशित हुई कि गुजरात के भावनगर जिले में मिलावटी भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा का सेवन करने के बाद कम से कम 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 39 अन्य लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि अवैध शराब में अत्यधिक मात्रा में मेथनॉल मिलाया गया था और इसे एक लोकप्रिय ब्रांड के लेबल वाली नकली बोतलों में बेचा जा रहा था। पुलिस भर्ती की दुर्घटनावश हुई मृत्यु के संबंध में दर्ज मामले की जाँच के दौरान अवैध शराब के इस नेटवर्क का पता चला। आयोग ने गुजरात के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

रिपोर्ट में मृतकों की संख्या, अस्पताल में भर्ती पीड़ितों और जाँच की अद्यतन स्थिति तथा मेथनॉल और अन्य कच्चे माल की पूरी आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने के लिए उठाए गए कदमों को शामिल किए जाने की अपेक्षा है। इसमें निलंबित पुलिस कर्मियों और अन्य दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शुरू की गई विभागीय कार्रवाई, मृतकों के परिवारों और जीवित बचे लोगों को दी गई राहत, मुआवजे और चिकित्सा सहायता का विवरण भी शामिल किया जाना है। इसके अलावा, आयोग ने निषेध कानून के प्रवर्तन को मजबूत करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए लागू किए जा रहे दीर्घकालिक उपायों पर भी रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने एक बड़े विनिर्माण केंद्र का पता लगाया तथा वहाँ से रसायन, रंगकारी पदार्थ, पहले से भरी हुई नकली शराब की बोतलें, नकली ब्रांडेड स्टिकर और स्टिकर रोल, बोतल के ढक्कन तथा गत्ते की पैकेजिंग सामग्री जब्त की।

नैदानिक परीक्षण के दौरान बलात्कार की शिकार महिला की मृत्यु

(केस संख्या 1243/7/15/2026-WC)

19 अगस्त 2026 को मीडिया में एक 57 वर्षीय महिला की मृत्यु की खबर प्रकाशित हुई, जिसके साथ 16 अगस्त 2026 को हरियाणा के पानीपत स्थित सिविल अस्पताल में नैदानिक परीक्षण के दौरान बलात्कार किया गया था।

18 अगस्त 2026 को रोहतक स्थित स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस पर आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और पानीपत के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

19 अगस्त 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गंभीर रूप से बीमार महिला को चिकित्सा उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ चिकित्सकों ने एक्स-रे और सीटी स्कैन कराने की सलाह दी थी। आरोप है कि सीटी स्कैन कक्ष में मशीन ऑपरेटर ने महिला के साथ बलात्कार किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

डायन बताकर महिला पर हमला

(केस संख्या 694/34/7/2026-WC)

24 अगस्त 2026 को मीडिया में खबर प्रकाशित हुई कि झारखंड के गढ़वा जिले के भोजपुर गाँव में एक महिला को डायन बताकर लोगों के एक समूह ने उस पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप वह 40 प्रतिशत तक जल गई। बताया गया कि हमलावर, जो उसी गाँव में रहते हैं, ने हमले के दौरान पीड़िता पर खौलता हुआ पानी डाल दिया।

आयोग ने गढ़वा के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में पीड़िता की स्वास्थ्य स्थिति तथा उसे दिए गए मुआवजे, यदि कोई हो, का विवरण शामिल किए जाने की अपेक्षा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले की जाँच चल रही है।

अस्पताल में आग लगने से नवजात शिशुओं की मृत्यु

(केस संख्या 1484/13/3/2026)

25 अगस्त 2026 को मीडिया में खबर प्रकाशित हुई कि 24 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र के अमरावती स्थित जिला महिला अस्पताल के बीमार नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में तीन नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई और चार अन्य घायल हो गए। बताया गया कि यह घटना वेंटिलेटर मशीन में विस्फोट के कारण हुई। आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में घायल शिशुओं की स्वास्थ्य स्थिति तथा सरकार द्वारा घोषित मुआवजे के वितरण की स्थिति शामिल किए जाने की अपेक्षा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, घटना के समय बीमार नवजात शिशु देखभाल इकाई में नौ नवजात शिशु थे। घायल चार शिशुओं में से एक की स्थिति गंभीर बताई गई है।

अस्पताल में तीन सप्ताह के दौरान कम से कम 60 नवजात शिशुओं की मृत्यु

(केस संख्या 2217/25/11/2026)

27 अगस्त 2026 को मीडिया में खबर प्रकाशित हुई कि पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में अगस्त 2026 के पहले तीन सप्ताह के दौरान कम से कम 60 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई। बताया गया कि एक ही दिन अस्पताल में 10 नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मृत 60 नवजात शिशुओं में से 44 को अन्य चिकित्सा संस्थानों से उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने के बाद रेफर किया गया था।

मध्याह्न भोजन उपलब्ध न कराया जाना

(केस संख्या 9486/24/10/2026)

27 अगस्त 2026 को मीडिया में खबर प्रकाशित हुई कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक सरकारी विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पिछले दो वर्षों से मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया है। बताया गया कि विद्यार्थियों ने अपनी शिकायतों के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा, जिसके बाद हुई जाँच में यह सामने आया कि 200 विद्यार्थियों को नियमित रूप से भोजन दिए जाने का दर्शाने के लिए फर्जी अभिलेख तैयार किए जा रहे थे।

सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की योजना बच्चों में कुपोषण को रोकने और उन्हें विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अतः आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 27 अगस्त 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जाँच में अनियमितताएँ तथा लगभग 14 लाख रुपये की कथित हेराफेरी सामने आई, जिसमें रसोइयों को कम भुगतान करना और प्रधानाचार्य तथा अन्य अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री पोषण अभियान की धनराशि का दुरुपयोग शामिल है।

नाबालिग के साथ यौन हमला

(केस संख्या 2482/30/0/2026)

31 अगस्त 2026 को मीडिया में खबर प्रकाशित हुई कि 16 वर्षीय एक बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। बताया गया कि 4 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से बस में सवार होने के बाद बस के चालक और परिचालक ने उसके साथ यह अपराध किया। आरोप है कि आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और दिल्ली के कश्मीरी गेट बस टर्मिनल पर छोड़ दिया। इस पर आयोग ने दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्तों तथा मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 31 अगस्त 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बालिका उत्तर प्रदेश के मैनपुरी स्थित अपने घर से सेक्टर 63 में रहने वाले अपने चचेरे भाई/बहन से मिलने के लिए निकली थी, लेकिन वह अपने निर्धारित स्टॉप पर उतर नहीं सकी और परी चौक पर उतर गई। वहाँ से उसने यह पुष्टि करने के बाद दूसरी बस में सवारी की कि वह बस नोएडा के सेक्टर 63 जा रही थी।

राहत के लिए सिफारिशें

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों का निराकरण करना, पीड़ितों की शिकायतों को सुनना तथा ऐसे मामलों में उपयुक्त राहत की सिफारिश करना है। आयोग नियमित रूप से विभिन्न मामलों पर विचार करता है तथा पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश एवं सिफारिशें जारी करता है। अगस्त 2026 में ऐसे 17 मामलों में पीड़ितों अथवा उनके निकटतम संबंधियों के लिए कुल 146 लाख रुपये की राहत की सिफारिश की गई, जिनमें यह पाया गया कि लोक सेवकों द्वारा या तो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया था अथवा उनके संरक्षण में लापरवाही बरती गई थी। इन मामलों का विस्तृत विवरण नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित केस संख्या दर्ज करके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	प्राधिकारी
1	11/3/8/2023-JCD	न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु	5.00	असम सरकार
2	1600/7/7/2022-JCD	न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु	7.50	हरियाणा सरकार
3	165/7/11/2024-JCD	न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु	10.00	हरियाणा सरकार
4	152/9/5/2019-JCD	न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु	7.50	जम्मू और कश्मीर सरकार
5	2621/25/9/2022-JCD	न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु	10.00	पश्चिम बंगाल सरकार
6	141/4/26/2024-PCD	पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु	7.50	बिहार सरकार
7	320/6/26/2024-PCD	पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु	7.00	गुजरात सरकार
8	2469/4/23/2020-AD	पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु	10.00	बिहार सरकार
9	1250/13/18/2024-PCD	पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु	7.50	महाराष्ट्र सरकार
10	4247/4/2/2023-DH	किशोर गृह की अभिरक्षा में मृत्यु	10.00	बिहार सरकार
11	2566/4/11/2023-DH	अन्य सरकारी संचालित बाल गृह में मृत्यु	5.00	बिहार सरकार
12	1168/34/17/2024	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अनियमितताएँ	5.00	झारखंड सरकार
13	963/18/1/2024	जादू-टोना से संबंधित हत्या के मामले में पुलिस द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई न किया जाना	9.00	ओडिशा सरकार
14	938/22/39/2024	विद्युत दुर्घटना से मृत्यु	5.00	तमिलनाडु सरकार
15	958/36/23/2024	विरोध कर रहे छात्रों पर कॉलेज के सुरक्षाकर्मियों द्वारा किए गए क्रूर हमले के मामले में पुलिस द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई न किया जाना	5.00	तेलंगाना सरकार
16	20560/24/32/2024	विद्युत दुर्घटना से मृत्यु	25.00	उत्तर प्रदेश सरकार
17	776/35/7/2025	चिकित्सकीय लापरवाही	10.00	उत्तराखंड सरकार

पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

अगस्त 2026 के दौरान आयोग ने 9 मामलों का निस्तारण किया। इनमें या तो लोक प्राधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट एवं राहत राशि के भुगतान का प्रमाण प्राप्त हो गया था अथवा आयोग द्वारा अन्य टिप्पणियाँ/निर्देश जारी किए गए थे। आयोग की सिफारिशों के आधार पर पीड़ितों अथवा उनके निकटतम संबंधियों को 37.75 लाख रुपये से अधिक की राहत राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का विस्तृत विवरण नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित केस संख्या के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की वेबसाइट पर लॉग-इन करके डाउनलोड किया जा सकता है।

क्र.सं.	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	प्राधिकारी
1	798/1/10/2023-JCD	न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु	5.00	आंध्र प्रदेश सरकार
2	7758/30/9/2021-JCD	न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु	5.00	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
3	713/25/5/2020-JCD	न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु	5.00	पश्चिम बंगाल सरकार
4	4473/7/3/2016-PCD	पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु	5.00	हरियाणा सरकार
5	1390/10/15/2021-PCD	पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु	10.00	कर्नाटक सरकार
6	3817/18/5/2022-AD	पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु	5.00	ओडिशा सरकार
7	1876/1/39/2025	पुलिस प्राधिकारियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग	0.75	आंध्र प्रदेश सरकार
8	2032/7/19/2023	हत्या के मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज न किया जाना	1.00	हरियाणा सरकार
9	467/18/5/2025	गैर-कानूनी हिरासत	1.00	ओडिशा सरकार

केस स्टडी

कई मामलों में आयोग ने पाया कि राज्य प्राधिकारियों के दावों के विपरीत, उनके द्वारा की गई गैर-कानूनी कार्रवाई, निष्क्रियता अथवा चूक के कारण पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। इसलिए, मामले-दर-मामला आधार पर आयोग ने संबंधित प्राधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह बताने को कहा कि पीड़ितों अथवा उनके निकटतम संबंधियों को मौद्रिक राहत की सिफारिश क्यों न की जाए तथा दोषी/लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों न की जाए। कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में राज्यों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण तथा प्रस्तुत उत्तरों के गुण-दोष पर विचार करने के बाद आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों अथवा उनके निकटतम संबंधियों को मौद्रिक राहत की सिफारिश की। संबंधित राज्य प्राधिकारियों से आयोग को इन सिफारिशों के अनुपालन की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। ऐसे मामलों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

नाबालिग की गैर-कानूनी हिरासत

(केस संख्या 467/18/5/2025)

यह मामला वर्ष 2026 में ओडिशा के गंजाम जिले में एक नाबालिग की आयु का सत्यापन किए बिना पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी से संबंधित था। आयोग को अपने नोटिस के प्रत्युत्तर में प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर पता चला कि उक्त बालक को वयस्क मानते हुए 40 दिनों के लिए अभिरक्षा में भेज दिया गया था। जन्म तिथि का सत्यापन होने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। अतः आयोग ने माना कि नाबालिग को वयस्क के रूप में गैर-कानूनी ढंग से गिरफ्तार एवं हिरासत में रखने के लिए राज्य राहत प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। तदनुसार, आयोग ने ओडिशा सरकार को पीड़ित के परिवार को 1 लाख रुपये की राहत राशि का भुगतान करने की सिफारिश की, जिसका बाद में भुगतान कर दिया गया।

जाति-आधारित दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस की निष्क्रियता

(केस संख्या 1876/1/39/2025)

यह मामला आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक महिला की शिकायत पर जाति-आधारित दुर्व्यवहार और पुलिस की निष्क्रियता से संबंधित था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि विनायक विसर्जन जुलूस के दौरान अजित सिंह नगर पुलिस थाने के पुलिस कर्मियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया तथा अपमानजनक टिप्पणियाँ और जातिसूचक गालियाँ दीं, जो उसके जीवन और गरिमा के अधिकार के उल्लंघन के समान था। उसने आगे आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों के विरुद्ध उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आयोग को अपने नोटिस के प्रत्युत्तर में प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर आरोप सही पाए गए। अतः आयोग ने कर्मचारियों के आचरण के लिए परोक्ष दायित्व वहन करने के आधार पर आंध्र प्रदेश सरकार को पीड़ित महिला को 75,000 रुपये की राहत राशि का भुगतान करने की सिफारिश की, जिसका भुगतान कर दिया गया।

हत्या के मामले में पुलिस की निष्क्रियता

(केस संख्या 2032/7/19/2023)

यह मामला हरियाणा के सोनीपत में एक व्यक्ति की मृत्यु के मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने तथा समय पर कार्रवाई करने में पुलिस की निष्क्रियता से संबंधित था। रिपोर्ट के अनुसार, उक्त व्यक्ति को ईंट-भट्टे पर मजदूरी के काम के लिए ले जाया गया था। उसने अपने परिवार को सूचित किया कि उसे बंधक बनाकर रखा गया है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगले दिन परिवार को सूचित किया गया कि उसका शव सोनीपत के एक ईंट-भट्टे पर पड़ा है, जिसे पुलिस ने बरामद किया। हालांकि, पीड़ित के

परिवार द्वारा विभिन्न पुलिस थानों के चक्कर लगाने के बावजूद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। आयोग को अपने नोटिस के प्रत्युत्तर में प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर आरोप सही पाए गए। अतः आयोग ने कर्मचारियों के आचरण के लिए परोक्ष दायित्व वहन करने के आधार पर हरियाणा सरकार को पीड़ित के निकटतम संबंधियों को 1 लाख रुपये की अंतरिम राहत राशि का भुगतान करने की सिफारिश की, जिसका भुगतान कर दिया गया।

मौके पर पूछताछ

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत समय-समय पर मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में मौके पर पूछताछ करने के लिए अपने जाँच अधिकारियों की टीम भेजता है।

केस संख्या 455/11/8/2024

3 से 7 अगस्त 2026 तक केरल के कोझिकोड स्थित राजाजी जंक्शन पर प्रदर्शन करने वाले फ्रेटरनिटी मूवमेंट के कुछ छात्र कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा शारीरिक हमला किए जाने के आरोप की मौके पर पूछताछ की गई।

केस संख्या 2140/22/5/2021-AD

3 से 7 अगस्त 2026 तक उस आरोप की मौके पर पूछताछ की गई कि एक व्यक्ति को 29 अगस्त 2021 को बिना वैध कारण अथवा वारंट के उसके कार्यस्थल से पुलिस द्वारा उठा लिया गया था। हिरासत में उसके साथ बर्बर मारपीट की गई, जिसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में उसकी मृत्यु हो गई।

केस संख्या 921/12/13/2022

3 से 7 अगस्त 2026 तक मध्य प्रदेश के दतिया में एक व्यक्ति की अभिरक्षा में मृत्यु के संबंध में लगाए गए आरोप की मौके पर पूछताछ की गई।

केस संख्या 456/19/10/2022-AD

10 से 14 अगस्त 2026 तक पंजाब के लुधियाना में 10 दिसंबर 2021 को एक महिला की पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के संबंध में लगाए गए इस आरोप की मौके पर पूछताछ की गई कि उसकी मृत्यु कथित रूप से हिरासत में यातना के कारण हुई थी।

केस संख्या 31414/24/77/2023

10 से 14 अगस्त 2026 तक उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़ के आरोप की मौके पर पूछताछ की गई।

केस संख्या 424/10/21/2024-JCD

17 से 21 अगस्त 2026 तक कर्नाटक के उडुपी में न्यायिक अभिरक्षा में हुई मृत्यु के संबंध में लगाए गए आरोप की मौके पर पूछताछ की गई।

केस संख्या 859/36/2/2025

17 से 21 अगस्त 2026 तक तेलंगाना के हैदराबाद में हत्या के मामले की अनुचित जाँच के संबंध में लगाए गए आरोप की मौके पर पूछताछ की गई।

केस संख्या 1303/30/10/2026-WC

17 से 21 अगस्त 2026 तक उस आरोप की मौके पर पूछताछ की गई कि मार्च 2022 में एक महिला को दिल्ली के बटला हाउस में बहला-फुसलाकर ले जाया गया, नशीला पदार्थ देकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया, उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसका वीडियो बनाया गया तथा बाद में हरियाणा के फरीदाबाद में उसे बार-बार बंधक बनाकर रखा गया, पीटा गया, धमकाया गया तथा उसकी इच्छा के विरुद्ध धर्म परिवर्तन और विवाह के लिए मजबूर किया गया।

केस संख्या 204/4/4/2024-DH

17 से 20 अगस्त 2026 तक हरियाणा के फरीदाबाद स्थित बेगूसराय बाल गृह में लगभग 16 वर्ष की आयु के एक अंत: वासी की मृत्यु के संबंध में लगाए गए आरोप की मौके पर पूछताछ की गई।

केस संख्या 311/33/13/2021-JCD

18 से 21 अगस्त 2026 तक छत्तीसगढ़ की जिला जेल, रायगढ़ में विचाराधीन कैदी की चिकित्सकीय उपचार के दौरान हुई मृत्यु के संबंध में लगाए गए आरोप की मौके पर पूछताछ की गई।

केस संख्या 5653/24/8/2024-PCD

19 से 21 अगस्त 2026 तक उत्तर प्रदेश के बागपत में एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के संबंध में लगाए गए आरोप की मौके पर पूछताछ की गई।

केस संख्या 21/15/5/2025

24 से 26 अगस्त 2026 तक उस आरोप की मौके पर पूछताछ की गई कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली निवासी एक व्यक्ति को अधिक मजदूरी का वादा करके मेघालय में एक ईंट-भट्ठे पर काम के लिए ले जाया गया था। वहाँ उसे प्रताड़ित किया गया, मजदूरी से वंचित रखा गया और वर्ष 2024 में उसे जलती हुई भट्ठी में धकेल दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन इस मामले में पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई।

केस संख्या 24/29/1/2022-DH

24 से 28 अगस्त 2026 तक दमन एवं दीव स्थित वन स्टॉप सेंटर में 13 वर्षीय बालिका की मृत्यु के संबंध में लगाए गए आरोप की मौके पर पूछताछ की गई।

केस संख्या 1395/13/19/2020-AD

31 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र की नासिक केंद्रीय जेल में एक दोषसिद्ध कैदी की अभिरक्षा में मृत्यु के संबंध में लगाए गए आरोप की मौके पर पूछताछ की गई। जाँच 4 सितंबर 2026 तक जारी रहने की संभावना है।

केस संख्या 664/35/6/2025-BL

31 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अनुसूचित जाति से संबंधित एक बीमार पिता के स्थान पर कार्य कराने के लिए बंधुआ मजदूर के बच्चे को बंधक बनाए रखने के संबंध में लगाए गए आरोप की मौके पर पूछताछ की गई। जाँच 3 सितंबर 2026 तक जारी रहने की संभावना है।

क्षेत्रीय दौरे

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर देश के विभिन्न स्थानों का दौरा करते हैं, ताकि मानव अधिकारों की स्थिति तथा राज्य सरकारों और उनके संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आयोग की परामर्शिकाओं, दिशानिर्देशों और सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन किया जा सके। वे आश्रय गृहों, कारागारों और पर्यवेक्षण गृहों का भी दौरा करते हैं, ताकि सरकारी अधिकारियों में जागरूकता बढ़ाई जा सके और मानव अधिकारों की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। इन दौरों के दौरान अधिकारियों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के महत्व से भी अवगत कराया जाता है, जिससे आयोग मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों का शीघ्र निस्तारण कर सके।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य द्वारा किए गए दौरे

3 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने मध्य प्रदेश के धार स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय वरिष्ठ कन्या छात्रावास का दौरा किया और छात्राओं के कल्याण से संबंधित गंभीर कमियाँ पाईं। भोजन के बीच लगभग 8 घंटे का अंतर 90 छात्राओं के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा था। अनियमित स्वच्छता सेवाओं के कारण छात्राएँ स्वयं छात्रावास की सफाई भी कर रही थीं। छात्रावास की अधीक्षिका के प्रयासों के बावजूद सरकारी अनुदान जारी होने में विलंब से बुनियादी सुविधाएँ प्रभावित हुई थीं। सदस्य ने छात्राओं के स्वास्थ्य, गरिमा और समग्र कल्याण की रक्षा के लिए निधियों को समय पर जारी करने, पर्याप्त पोषण, नियमित स्वच्छता सेवाएँ और आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उसी दिन उन्होंने धार, मध्य प्रदेश स्थित जिला जेल का भी दौरा किया। वहाँ स्वच्छता और भोजन की व्यवस्थाएँ संतोषजनक पाई गईं। ई-कोर्ट प्रणाली कार्यरत थी। उन्होंने विचाराधीन कैदियों के लिए पृथक आवास की व्यवस्था करने, समय पर कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने, पूर्णकालिक चिकित्सक की नियुक्ति करने तथा कैदियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए जेल सुधारों को लागू करने का आग्रह किया।

4 अगस्त 2026 को श्रीमती विजया भारती सयानी ने जिले के ज्ञानपुरा, तेरला स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का दौरा किया और लगभग 270 छात्राओं को प्रभावित करने वाली गंभीर समस्याएँ पाईं। उन्होंने कर्मचारियों की कमी, पेयजल की समस्या, टूटे हुए दरवाजों वाले अस्वच्छ शौचालय, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ, निर्धारित भोजन सूची के खराब कार्यान्वयन तथा प्रातः 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक भोजन उपलब्ध न होने की स्थिति भी देखी। रैगिंग, मच्छरों का प्रकोप, खेल सुविधाओं का अभाव और अभिलेखों के रखरखाव की खराब स्थिति भी पाई गई। सदस्य ने सुरक्षित एवं बाल-अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए इन समस्याओं के समाधान हेतु तत्काल सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया।

22 अगस्त 2026 को नेल्लोर जाते समय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य ने आंध्र प्रदेश के नलगोंडा स्थित टिप्पर्थी में आदर्श छात्रावास की छात्राओं को सुविधाओं एवं प्रबंधन में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन करते देखा। उन्होंने छात्रावास का दौरा किया और खराब गुणवत्ता वाले भोजन एवं खाद्य सामग्री, अपर्याप्त स्वच्छता, अनियमित सफाई तथा चौकीदार और सहायक नर्स दाई के अनुचित आचरण की स्थिति पाई। सदस्य ने जिला कलेक्टर और मंडल शिक्षा अधिकारी से बात कर कमियों को रेखांकित किया तथा छात्राओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा, गरिमा, पोषण और कल्याण की रक्षा के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की सिफारिश की।

25 अगस्त 2026 को सदस्य ने तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित वाटर स्पोर्ट्स अकादमी का सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ दौरा किया। यह तेलंगाना राज्य में अपनी तरह का एकमात्र विद्यालय है, जहाँ जल क्रीड़ाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने पाया कि छात्राओं/छात्रों ने कई पुरस्कार जीते हैं और राज्य को गौरवान्वित किया है, फिर भी उनकी शारीरिक फिटनेस और खेल प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए उन्हें पर्याप्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। विद्यालय का समग्र वातावरण भी संतोषजनक नहीं था। उन्होंने पूरे परिसर में नाली के पानी से लगातार आने वाली दुर्गंध तथा सुरक्षित पेयजल की कमी को देखा।

छात्रों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वे ऐसे वातावरण में रह एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर

रहे हैं, जो उनके स्वास्थ्य, कल्याण और खेल संबंधी विकास के लिए आवश्यक बुनियादी मानकों के अनुरूप नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की तथा अकादमी में भोजन, स्वच्छता, पेयजल और समग्र जीवन-परिस्थितियों में सुधार के लिए तत्काल उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया।

विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटरों द्वारा किए गये दौरे

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकारों की स्थितियों की निगरानी के लिए 15 विशेष प्रतिवेदक नियुक्त किए हैं। वे आश्रय गृहों, कारागारों, पर्यवेक्षण गृहों और इसी प्रकार के संस्थानों का दौरा करते हैं तथा अपने अवलोकनों और भविष्य की कार्रवाई के संबंध में सुझावों सहित आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने विशिष्ट विषयगत मानव अधिकार मुद्दों की निगरानी करने और अपने निष्कर्ष आयोग को प्रस्तुत करने के लिए 18 विशेष मॉनिटर नियुक्त किए हैं।

विशेष प्रतिवेदक

- 2 से 7 अगस्त 2026 से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक, श्री सुभाष चंद्र ने छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग जिलों का दौरा किया तथा अभिरक्षा संस्थानों, बाल देखभाल संस्थानों, आंगनवाड़ी केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं में विभिन्न व्यवस्थाओं एवं मानव अधिकारों की स्थिति का जायजा लिया।

- 18 से 22 अगस्त 2026 से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक, श्री सईद अहमद बाबा ने मणिपुर के इम्फाल का दौरा किया तथा अभिरक्षा संस्थानों, अस्पतालों, बाल देखभाल संस्थानों और राहत शिविरों में विभिन्न व्यवस्थाओं एवं मानव अधिकारों की स्थिति का जायजा लिया।

- 23 से 30 अगस्त 2026 से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक, श्री उपेंद्र सिंह बघेल ने उत्तर प्रदेश के नोएडा-गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और गाजियाबाद का दौरा किया तथा कारागारों, बाल संरक्षण संस्थानों और पुलिस प्रतिष्ठानों में विभिन्न व्यवस्थाओं एवं मानव अधिकारों की स्थिति का जायजा लिया।

- 24 से 31 अगस्त 2026 से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की विशेष प्रतिवेदक, श्रीमती सुचित्रा सिन्हा ने झारखंड के रामगढ़ जिले का दौरा किया तथा मानव अधिकारों से संबंधित समस्याओं को समझने के लिए गांवों, खनन क्षेत्रों और विस्थापन से प्रभावित क्षेत्रों का क्षेत्रीय दौरा किया।

- 27 से 31 अगस्त 2026 से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक, श्री एस.के. सतपथी ने पश्चिम मिदनापुर जिले, पश्चिम बंगाल का दौरा किया तथा अभिरक्षा संस्थानों, बाल देखभाल गृहों, विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में विभिन्न व्यवस्थाओं एवं मानव अधिकारों की स्थिति का जायजा लिया।

विशेष मॉनिटर

- 3 से 9 अगस्त 2026 से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर, गोपी शंकर मदुरै ने ट्रांसजेंडर और एलजीबीटी (LGBT) अधिकारों से

संबंधित क्षमता निर्माण, हितधारक परामर्श और क्षेत्रीय दौरों के लिए पुडुचेरी और तमिलनाडु का दौरा किया।

- 10 से 14 अगस्त 2026 से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर, डॉ. अनीमेष भट्टाचार्य ने भूजल में अत्यधिक फ्लोराइड की मात्रा और सुरक्षित पेयजल से संबंधित मुद्दों का आकलन करने के लिए राजस्थान के अजमेर जिले का दौरा किया।
- 16 से 23 अगस्त 2026 से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर, श्री उमाकांत ने असम का दौरा किया तथा मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन करने के लिए ग्राम सभाओं, पंचायतों और अन्य स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का क्षेत्रीय दौरा किया।
- 17 से 20 अगस्त 2026 से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की विशेष मॉनिटर, डॉ. पूनम मालकोंडैया ने मध्य प्रदेश के देवास जिले का दौरा किया तथा प्राथमिक विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में विभिन्न व्यवस्थाओं एवं मानव अधिकारों की स्थिति का जायजा लिया।
- 17 से 22 अगस्त 2026 से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर, श्री विद्या भूषण कुमार ने महाराष्ट्र के मुंबई का दौरा किया तथा जमीनी स्तर पर पर्यावरण और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मुद्दों का आकलन किया और हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया।
- 19 से 21 अगस्त 2026 से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर, श्री देवेंद्र सिंह धपोला ने सीवर मशीनीकरण, भिक्षावृत्ति और सिलिकोसिस से संबंधित आयोग की परामर्शिकाओं के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का दौरा किया।
- 19 से 26 अगस्त 2026 से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर, प्रो. कन्हैया त्रिपाठी ने बिहार के पटना, गया, बोधगया, मोतिहारी, राजगीर, सारण और भोजपुर जिलों का दौरा किया तथा शैक्षणिक संस्थानों में मानव अधिकार शिक्षा और लैंगिक समानता की स्थिति की समीक्षा की।
- 23 से 30 अगस्त 2026 से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर, श्री आर. हेमंत कुमार ने लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लेह और कारगिल जिलों का दौरा किया तथा जनजातीय समुदायों को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक और शासन संबंधी मुद्दों का अध्ययन किया।
- 24 से 29 अगस्त 2026 से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर, डॉ. प्रदीप्ता कुमार नायक ने पंजाब के एस.ए.एस. नगर, रूपनगर और पटियाला जिलों का दौरा किया तथा स्वास्थ्य, कुष्ठ रोग और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की।

शोध अध्ययन

पंजाब में दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा: संभावनाएँ और चुनौतियाँ

आयोग द्वारा प्रायोजित : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

प्रधान अन्वेषक : डॉ. किरण कुमारी, सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला

शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के अंतर्गत प्रत्याभूत एक मौलिक अधिकार है। तथापि, दिव्यांगजनों के मामले में गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा तक पहुँच के रूप में इस अधिकार का उपभोग प्रणालीगत और संरचनात्मक बाधाओं के कारण काफी हद तक प्रभावित रहता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित संवैधानिक प्रावधान तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्रदान किए गए वैधानिक संरक्षण के

बावजूद, पूरे भारत में समावेशी शिक्षा का व्यावहारिक कार्यान्वयन अभी भी इन प्रावधानों द्वारा परिकल्पित मानकों से स्पष्ट रूप से कम है।

इन चुनौतियों को रेखांकित करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने "पंजाब में दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा: संभावनाएँ और चुनौतियाँ" शीर्षक से एक परियोजना प्रायोजित की। यह परियोजना डॉ. किरण कुमारी, सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, प्रधान अन्वेषक के रूप में पंजाब के तीन जिलों—जालंधर, लुधियाना और अमृतसर—में समावेशी शिक्षा की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने के लिए संचालित की गई।

अध्ययन का उद्देश्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करना; दिव्यांग छात्रों के सामने आने वाली शैक्षणिक चुनौतियों का अध्ययन करना; उनके सामने आने वाली बुनियादी ढाँचे संबंधी एवं दृष्टिकोणगत बाधाओं की पहचान करना; अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन के सामने आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना; छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन की दृष्टि से समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के कार्यात्मक एवं अकार्यात्मक पहलुओं की समीक्षा करना तथा समावेशी शिक्षा नीतियों और रणनीतियों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाना था। अध्ययन में शैक्षिक व्यवस्था से जुड़े सभी हितधारकों के प्रत्यक्ष अनुभवों को सामने लाकर नीति के उद्देश्य और जमीनी वास्तविकता के बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया गया।

शोध में मिश्रित-पद्धति दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें विषय की व्यापक समझ सुनिश्चित करने के लिए मात्रात्मक सर्वेक्षणों को गुणात्मक अंतर्दृष्टियों के साथ जोड़ा गया। क्षेत्रीय सर्वेक्षण पंजाब के चयनित तीन जिलों के छह विकासखंडों और 36 विद्यालयों में किया गया, जिसमें दिव्यांग छात्रों, उनके अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यालय प्रशासकों के साक्षात्कार शामिल थे। शोध अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया तथा साहित्य की व्यापक समीक्षा के माध्यम से ऐसे निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास किया गया जो अनुभवजन्य आधार पर आधारित और विश्लेषणात्मक रूप से सुदृढ़ हों।

निष्कर्षों से सर्वेक्षण किए गए जिलों में समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण असमानताएँ सामने आईं। जहाँ अनेक अभिभावकों और शिक्षकों ने समावेशन के सिद्धांत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया, वहीं इसके कार्यान्वयन से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियाँ काफी गंभीर थीं। छात्रों ने कक्षा में सहभागिता, सहपाठियों के साथ संबंध बनाने तथा आवश्यक परीक्षा संबंधी सुविधाएँ प्राप्त करने में लगातार कठिनाइयों की जानकारी दी। शिक्षकों ने विशेषीकृत प्रशिक्षण की कमी, अपेक्षाकृत बड़े कक्षा आकार तथा पर्याप्त सहयोगी कर्मचारियों के अभाव को प्रभावी समावेशन में प्रमुख बाधाओं के रूप में चिन्हित किया।

दूसरी ओर, प्रशासकों ने विद्यालय भवनों की सुगम्यता की कमी तथा संसाधन कक्षों और योग्य विशेष शिक्षकों की गंभीर कमी सहित बुनियादी ढाँचे की कमियों को रेखांकित किया। वित्तीय कठिनाइयों ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया, क्योंकि बड़ी संख्या में परिवारों ने सहायक उपकरणों और अतिरिक्त चिकित्सीय सहायता का खर्च वहन करने में कठिनाई की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त, अध्ययन में पाया गया कि व्यक्तिगत शिक्षा योजनाओं को उपयोगी शैक्षणिक साधनों के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त होने के बावजूद, सर्वेक्षण किए गए विद्यालयों में उनका नियमित रूप से निर्माण और अनुश्रवण समान रूप से नहीं हो रहा था।

यह उल्लेखनीय है कि इन कमियों को दूर करने के लिए नीति और संस्थागत दोनों स्तरों पर समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, इस अध्ययन के निष्कर्ष रेखांकित करते हैं कि ये प्रयास सराहनीय होने के बावजूद विखंडित हैं और उनका दायरा पर्याप्त नहीं है। यदि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत परिकल्पित समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को सार्थक रूप से प्राप्त करना है, तो अधिक व्यापक, समन्वित और पर्याप्त संसाधनों से युक्त दृष्टिकोण आवश्यक है। विस्तृत शोध अध्ययन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

जागरूकता पहल

सहयोगात्मक क्षमता निर्माण कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत को मानव अधिकारों के संवर्धन, संरक्षण और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य से, इंटर्नशिप कार्यक्रमों के अतिरिक्त, आयोग विभिन्न संस्थानों के सहयोग से अनेक क्षमता निर्माण कार्यक्रम और गतिविधियाँ आयोजित करता रहा है। इनमें परिचयात्मक/अनुभवात्मक दौरे, मूट कोर्ट प्रतियोगिताएँ आदि शामिल हैं, जिनका उद्देश्य आयोग की पहुँच का विस्तार करना और विशेष रूप से विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों में मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना है।

अगस्त 2026 में निम्नलिखित सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- 1 अगस्त 2026 को इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, दिल्ली ने न्यायिक अधिकारियों के लिए 'न्यायिक अधिकारी और मानव अधिकार: मुद्दे एवं चुनौतियाँ' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

- 4 अगस्त 2026 को एस.के. शिक्षण एवं सामाजिक विकास संस्थान, भरतपुर, राजस्थान ने 'मानव अधिकार जागरूकता, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों पर केंद्रित' विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की। इसमें लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- 5 अगस्त 2026 को सेंट थॉमस कॉलेज (स्वायत्त), त्रिशूर, केरल ने 'डिजिटल शासन और सतत विकास: डेटा संरक्षण के युग में सुरक्षा और अधिकारों के बीच संतुलन' विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में इसका उद्घाटन किया।

- 7 अगस्त 2026 को श्रीमती कपिला खंडवाला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मुंबई, महाराष्ट्र ने 'मानव अधिकार' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के एसएसपी, श्री युवराज ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित किया।

- 10 अगस्त 2026 को डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली ने 'गोपनीयता का अधिकार, डिजिटल स्पेस और मानव अधिकार' विषय पर दो दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की प्रेज़ेंटिंग ऑफिसर, श्रीमती नीरू कंबोज ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित किया।

- 21 अगस्त 2026 को वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु ने 'महिलाओं के अधिकार—महिलाओं का सशक्तीकरण: आज के तेजी से बदलते समाज में जागरूकता, समानता और न्याय' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की प्रेज़ेंटिंग ऑफिसर, श्रीमती विजय लक्ष्मी विहान ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित किया।

- 28 अगस्त 2026 को आर्य युवा केंद्र ने त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में 'बच्चों के अधिकार और किशोर न्याय, विशेष रूप से बाल विवाह की

रोकथाम पर केंद्रित' विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के निदेशक, श्री इरशाद आलम ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित किया।

- 28 अगस्त 2026 को शंकरदेव महाविद्यालय, लखीमपुर, असम ने बुनियादी मानव अधिकार जागरूकता पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

ज्ञानार्जन दौरे

महाविद्यालय स्तर के छात्रों और उनके शिक्षकों में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत उन्हें आयोग का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता है, ताकि वे मानव अधिकार संरक्षण तंत्र और उसके कार्यकरण से परिचित हो सकें तथा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुरूप आयोग की कार्यप्रणाली को समझ सकें। वरिष्ठ अधिकारी उन्हें इस संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। अगस्त माह में निम्नलिखित संस्थानों ने आयोग का दौरा किया:

- शिवाजीराव एस. जोंधले इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड रिसर्च, ठाणे, महाराष्ट्र के 9 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों का एक दल।

- पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात के 29 छात्रों और एक संकाय सदस्य का एक दल।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर विचारों और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों और पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। इन प्रयासों के तहत विभिन्न देशों के संस्थागत प्रतिनिधिमंडल नियमित रूप से आयोग का दौरा करते हैं और इसके अध्यक्ष, सदस्यों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद करते हैं, ताकि आयोग के अधिदेश, कार्यप्रणाली तथा मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण से संबंधित पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों और कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं, ताकि आयोग के अनुभवों और उपलब्धियों को साझा किया जा सके, अन्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के साथ सहयोग सुदृढ़ किया जा सके तथा तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में उभरती मानव अधिकार चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया जा सके।

ताशकंद में 'डिजिटल परिवर्तन के संदर्भ में मानव अधिकार: समकालीन दृष्टिकोण' विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

20 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन ने संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार के साथ उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में 'डिजिटल परिवर्तन के संदर्भ में मानव अधिकार: समकालीन दृष्टिकोण' विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन उज़्बेकिस्तान गणराज्य के ओली मजलिस के मानव अधिकार आयुक्त (ओम्बुड्समैन) की पहल पर, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से आयोजित किया गया था।

सम्मेलन के दौरान 'डिजिटल परिवर्तन के संदर्भ में युवाओं के अधिकारों का संरक्षण' विषय पर एक सत्र को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी ने अधिकारों की एक नई "श्रेणी" को जन्म दिया है। इनमें डिजिटल पहुँच, भुला दिए जाने, डेटा पोर्टेबिलिटी और सुधार, डिजिटल माध्यम से अलग होने, स्वचालित निर्णयों के स्पष्टीकरण तथा डिजिटल गुमनामी एवं पहचान संरक्षण के अधिकार शामिल हैं। अध्यक्ष ने साइबर खतरों से निपटने के लिए वैश्विक सहमति का आह्वान किया, विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को प्रभावित करने वाले खतरों के संबंध में, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के विरुद्ध उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से बच्चों को होने वाले कथित नुकसान को लेकर मुकदमे चल रहे हैं।

सम्मेलन में 15 देशों के प्रतिभागियों ने 'डिजिटल परिवर्तन के संदर्भ में मानव अधिकारों पर ताशकंद घोषणा' को अपनाया। इसमें डिजिटल परिवर्तन के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दायित्वों के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई। घोषणा में मानव अधिकारों पर डिजिटल परिवर्तन के गहरे प्रभाव को भी स्वीकार किया गया तथा इस बात पर बल दिया गया कि डिजिटल प्रौद्योगिकियों का विकास और उपयोग लोगों के हित में किया जाना चाहिए और उन्हें मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के संवर्धन एवं संरक्षण में योगदान देना चाहिए।

ऑनलाइन सहभागिता

- 3 अगस्त 2026 को श्री समीर कुमार, संयुक्त सचिव और सुश्री प्रेरणा हसीजा, शोध सलाहकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अनिवार्य मानव अधिकार सम्यक् परिश्रम कानूनों के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के अनुभवों पर गनहरी(GANHRI) बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स वर्किंग ग्रुप की लर्निंग कॉल में भाग लिया।
- 6 अगस्त 2026 को श्री समीर कुमार, संयुक्त सचिव; सुश्री वर्षा आप्टे, वरिष्ठ शोध सलाहकार; और सुश्री प्रेरणा तारा, शोध सलाहकार ने एशिया पैसिफिक फोरम एसईओ/सीईओ (SEO/CEO) नेटवर्क की त्रैमासिक बैठक में भाग लिया।
- 18 अगस्त 2026 को सुश्री वर्षा आप्टे, वरिष्ठ शोध सलाहकार और सुश्री प्रेरणा तारा, शोध सलाहकार ने ओएचसीएचआर (OHCHR) द्वारा आयोजित उस ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 'क्रिएटिंग दी ऑफिस ऑफ दी यूएन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राईट एंड 1993 वर्ल्ड कॉफरेंस (Creating the Office of the UN High Commissioner for Human Rights and the 1993 World Conference)' पर चर्चा की गई।

राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

मानव जीवन के निरंतर विस्तृत होते आयामों और उनसे जुड़ी उभरती चुनौतियों को देखते हुए मानव अधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण एक निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है। भारत में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारें व्यापक कार्यपालिका तंत्र के माध्यम से जनकल्याण और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रतिबद्धता को विधायिका और न्यायपालिका जैसी सुदृढ़ लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा सक्रिय और सतर्क मीडिया से भी बल मिलता है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग पूरे देश में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राष्ट्रीय आयोग अपने संबंधित राज्य स्तरीय निकायों के सहयोग से समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। ये सभी संस्थाएँ मिलकर महत्वपूर्ण निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करती हैं तथा जवाबदेही, न्याय और समावेशी कल्याण उपायों को सुनिश्चित करने में योगदान देती हैं। इस स्तंभ का उद्देश्य मानव अधिकारों के उद्देश्य को आगे बढ़ाने तथा समाज में गरिमा, न्याय और समानता की संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न राज्य मानव अधिकार आयोगों द्वारा की गई महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय पहलों को रेखांकित करना है।

मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

अगस्त 2026 के दौरान मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए कई गतिविधियाँ संचालित कीं।

17 अगस्त 2026 को रतलाम कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें 25 मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें 11 मामले पुलिस से संबंधित थे। अन्य मामलों में गैस पाइपलाइन रिसाव, आदिवासी महिला का उपचार, वेतन रोकना, दिव्यांगजनों की भर्ती, चिकित्सकीय लापरवाही, आजीविका, टीकाकरण, विद्यालय सुविधाएँ, लापता बच्चा, हत्या, बलात्कार, भूमि अधिकार और हाई-टेंशन लाइन से हुई मौतें शामिल थीं।

18 अगस्त 2026 को आगर-मालवा में जनसुनवाई आयोजित की गई। इथेनॉल उद्योग से छोड़े जाने वाले पानी के संबंध में प्राप्त शिकायतों के बाद आयोग ने इकाई का निरीक्षण किया और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए पानी के उपयोग, उपचार, निपटान और गुणवत्ता की समीक्षा की।

अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने राष्ट्रव्यापी नशा मुक्ति अभियान में भी भाग लिया और नशामुक्त समाज के माध्यम से मानव अधिकारों के संरक्षण पर बल दिया।

पंजाब राज्य एवं चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) मानव अधिकार आयोग

अगस्त 2026 के दौरान पंजाब राज्य एवं चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकार, जनकल्याण, स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।

पंजाब में विनाशकारी बाढ़ के पीड़ितों को कॉरपोरेट सहायता प्रदान किए जाने संबंधी शिकायत पर विचार करते हुए पीएसएचआरसी (PSHRC) ने स्थानीय कल्याण और आपदा राहत के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधियों के उपयोग को सुगम बनाने हेतु राज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्राधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की। आयोग ने कंपनियों के बीच कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत आने वाली कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों में सहयोग के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की भी सिफारिश की।

आयोग ने सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ में हीमोफीलिया रोगियों के लिए आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता के मुद्दे पर भी कार्रवाई की। आयोग ने संबंधित प्राधिकारियों को एंटी-हीमोफिलिक फैक्टर VIII तथा अन्य आवश्यक प्रतिस्थापन उपचारों की पर्याप्त और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने की सिफारिश की। लंबित खरीद प्रक्रियाओं में तेजी लाने के साथ-साथ बफर स्टॉक बनाए रखने की भी सिफारिश की गई।

चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस टर्मिनल में लग्जरी बसों के निरीक्षण के दौरान पाए गए सुरक्षा उल्लंघनों पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए पीएसएचआरसी (PSHRC) ने पाया कि आपातकालीन निकास बंद या अवरुद्ध थे तथा अग्निशामक यंत्र वर्ष 2022 में ही समाप्त हो चुके थे। संबंधित परिवहन प्राधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है।

पीएसएचआरसी (PSHRC) ने पंजाब और चंडीगढ़ में विभिन्न हितधारकों के साथ संवादात्मक बैठकों तथा खुली सुनवाइयों के माध्यम से मानव अधिकारों के प्रति जन-जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ भी जारी रखीं।

इन कार्यक्रमों ने लोगों को नागरिक सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक न्याय और सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान किया तथा नागरिकों और मानव अधिकार संरक्षण तंत्र के बीच प्रत्यक्ष संवाद को सुदृढ़ किया।

हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग

हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग ने भी अगस्त 2026 के दौरान मानव अधिकारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप और गतिविधियाँ कीं। अध्यक्ष, न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने सदस्यों श्री कुलदीप जैन और श्री दीप भाटिया के साथ केंद्रीय जेल-1, हिसार का दौरा किया और जेल की सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने कैदियों से उनकी शिकायतों और जीवन-परिस्थितियों को समझने के लिए संवाद किया। अध्यक्ष ने समय पर चिकित्सकीय देखभाल, स्वच्छ परिस्थितियों, पौष्टिक भोजन, कानूनी सहायता और पुनर्वास पर बल दिया। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि जेल में तैनात चिकित्सकों का कार्यकाल निरंतर चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के लिए कम से कम एक वर्ष हो।

हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग ने सोनीपत में विद्यालय के गेट के गिरने से 11 वर्षीय छात्र की मृत्यु के मामले में स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया और विद्यालय भवन की स्थिति, निरीक्षण एवं रखरखाव तथा निवारक सुरक्षा उपायों के संबंध में रिपोर्ट मांगी। नूंह में आयोग ने पड़ोसी गांवों के विद्यालयों में स्थानांतरित किए गए छात्रों के लिए सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया तथा विद्यालय बसों में सीसीटीवी(CCTV) और अन्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए।

इसके अतिरिक्त, अन्य महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों के तहत हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग ने फरीदाबाद में पेयजल आपूर्ति लंबे समय तक बाधित रहने के मुद्दे को उठाया और जीवन, स्वास्थ्य एवं गरिमा के अधिकार पर इसके प्रभाव को रेखांकित किया। आयोग ने स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए पौधरोपण अभियान में भी भाग लिया।

हिमाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

हिमाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग ने 32 नई शिकायतें दर्ज कीं और 21 अगस्त 2026 तक 22 शिकायतों का निस्तारण किया। आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को कुल 56 लाख रुपये की मौद्रिक राहत की भी सिफारिश की।

सक्षेप में समाचार

- 7 अगस्त 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन और संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार ने इंटरनेशन लीडरशीप टूर (InterNation LeadershipTour) 26 के अंतर्गत छात्र प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया।

- 9 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने आंध्र प्रदेश के कडपा जिले के पुलिवेंदुला स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में किसान महिला सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका तथा पारिवारिक भूमि में उनके उचित हिस्से से वंचित किए जाने को रेखांकित किया और उन्हें गरिमा, अधिकार एवं आर्थिक स्वतंत्रता के साथ किसान, निर्णयकर्ता और समान भागीदार के रूप में मान्यता देने पर बल दिया। उन्होंने महिला किसानों से गुणवत्तापूर्ण बीज, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, ऋण, किसान उत्पादक संगठन, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और प्रत्यक्ष बाजार पहुँच के बारे में अधिक जागरूक होने का आग्रह किया, ताकि उन्हें बेहतर मूल्य मिल सके और बिचौलियों से बचा जा सके।

- 15 अगस्त 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने राष्ट्र के साथ भारत का 80वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मानव अधिकार भवन में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें CISF कर्मियों और आयोग के कर्मचारियों ने भाग लिया।

- 21 अगस्त 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने आयोग की वार्षिक हिंदी पत्रिका 'मानव अधिकार: नई दिशाएँ' के 23वें अंक की विषय-वस्तु तय करने के लिए सलाहकार बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। महासचिव, श्री पीयूष गोयल; संयुक्त सचिव, श्रीमती साईडिंगपुई छकछुआक; छह बाह्य विषय विशेषज्ञों और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने विचार-विमर्श में भाग लिया।

- 22 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि ने ओडिशा के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, संबलपुर में प्रबंधन एवं सार्वजनिक नीति तथा डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बैचलर ऑफ साइंस कार्यक्रमों के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, बुनियादी ढाँचे, डिजिटल शासन, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है तथा युवा भारतीय विश्वभर में अपनी उपस्थिति तेजी से दर्ज करा रहे हैं।

  उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी क्षमता तथा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, वित्त और शासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की इसकी क्षमता पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि डेटा-आधारित निर्णय लेने से संस्थाओं को समस्याओं को अधिक सटीकता से समझने, प्रभावी नीतियाँ बनाने और संसाधनों का अधिक कुशलतापूर्वक आवंटन करने में सहायता मिल सकती है। उन्होंने छात्रों को समकालीन ज्ञान और कौशल अर्जित करने के साथ-साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने तथा राष्ट्र के विकास में सार्थक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।

- 22 अगस्त 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के वेदयापालेम स्थित G.V.R.R. जूनियर कॉलेज द्वारा आयोजित 'विकसित भारत—छात्रों की संवैधानिक जिम्मेदारियाँ' विषय पर जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित किया। इसमें लगभग 100 छात्रों ने भाग लिया।

- 22 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की महानिदेशक (जाँच), डॉ. अनुपमा नीलकर चंद्रा ने उत्तर प्रदेश के डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श 'नीति से व्यवहार तक: किशोर (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के 10 वर्ष पूर्ण होने का स्मरण' (उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान के साथ राष्ट्रीय परामर्श) को वर्चुअल माध्यम से विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने बच्चों के कानून के

संपर्क में आने के कारणों को समझने के लिए केवल आँकड़ों से आगे बढ़कर अपराध और पुनरावृत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अगले दशक के लिए बेहतर आँकड़ा संकलन, अनुसंधान और हितधारकों की क्षमता निर्माण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ. चंद्रा ने नियंत्रण की अपेक्षा देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास और पुनः एकीकरण की ओर बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया तथा किशोर न्याय प्रणाली में बाल-केंद्रित, संवेदनशील और समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता बताई, जिससे देखभाल की निरंतरता, सतत सहयोग और सार्थक पुनःएकीकरण सुनिश्चित हो सके।

- 23 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन षड़ंगि ने ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित एसओए (SOA) विश्वविद्यालय (कैंपस-2) में एचीवर्स मीट (Achievers Meet)-2026 सम्मान समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने छात्रों से उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने तथा समर्पण, दृढ़ता और जिम्मेदारी की मजबूत भावना के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों को भी रेखांकित किया और समाज में मानव गरिमा, समानता तथा न्याय को बनाए रखने के महत्व पर बल दिया।
- 23 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भारती सेवा समिति द्वारा आयोजित 'भारत के समग्र विकास पर मानव अधिकारों का प्रभाव' विषयक कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में भारत के समग्र और समावेशी विकास को प्राप्त करने में महिलाओं की भूमिका तथा मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के महत्व पर सार्थक विचार-विमर्श का अवसर मिला।
- 25 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित बेगमपेट के टूरिस्ट प्लाजा सर्किट हाउस में सिकंदराबाद के विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ संवाद किया। बैठक में संरक्षण अधिकारी, उप निदेशक, राजस्व मंडल अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण के उप निदेशक, सहायक जिला जनजातीय विकास अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित कल्याणकारी उपायों के जिला स्तर पर कार्यान्वयन में अधिकारियों की भूमिका तथा लोगों के अधिकारों और कल्याण के संरक्षण में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की।

आगामी कार्यक्रम

12 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत द्वारा अपना 33वाँ स्थापना दिवस मनाने के लिए समारोह आयोजित किया जाएगा।

अगस्त 2026 में प्राप्त शिकायतें

प्राप्त नई शिकायतों की संख्या	4,023
निपटाए गए मामलों की संख्या, जिनमें पुराने मामले भी शामिल हैं	4,246
आयोग द्वारा विचाराधीन मामलों की संख्या	39,121

ख़बरों में मानव अधिकार एवं एनएचआरसी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

शिकायत दर्ज करने के लिए एनएचआरसी के महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर

टोल फ्री नंबर: 14433 (सुविधा केंद्र) फैक्स नंबर: 011-2465 1332

ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए: www.nhrc.nic.in, hrcnet.nic.in,

सामान्य सेवा केंद्र ईमेल: complaint.nhrc@nic.in (शिकायतों के लिए), cr.nhrc@nic.in (सामान्य प्रश्नों/पत्राचार के लिए)

मानव अधिकार संरक्षकों के लिए फोकल पॉइंट:

इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि)

मोबाइल नंबर +91 99993 93570 • फैक्स नंबर 011-2465 1334 • ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in

प्रकाशक एवं मुद्रक: महासचिव, एनएचआरसी

विबा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड में मुद्रित।, सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल क्षेत्र, चरण- II, नई दिल्ली-110020 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्रकाशित

मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023

हिंदी संस्करण : अनूदित : हिंदी अनुभाग : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

covdnhrc@nic.in www.nhrc.nic.in @India_NHRC @NationalHumanRightsCommission

RNI No. 61957/95